हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम ज इस हुकम की तामील में जारी हुए
अंकित / मेरासिंह वगैरह GCMS-2024/290	

22/07

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्त है. पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 25/07/25 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप0। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी एवं आपत्ति मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आरटी एक्ट पर बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गयी। वास्ते आदेश मिसल दिनांक 29.07.2025 को पेश हो।

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

5 वास्ते आदेश मिसल आज पेश हुई। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी एवं आपत्ति मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आरटी एक्ट पर बहस पूर्व में सुनी जा चुकी हैं। दौराने बहस वकील प्रार्थी (प्रा0 पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी) ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रा0 पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर प्रार्थी का प्रा0 पत्र अं0धा0 251 (क) आरटी एक्ट भारी हर्जे के साथ खारिज फरमाने का निवेदन किया। वकील प्रतिपक्ष ने जवाब प्रा0 पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रा0 पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी खारिज फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, प्रा0 पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी व जवाब प्रा0 पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं बहस वकुलाय उभयपक्ष पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रार्थी (प्रा0 पत्र अं0धा0 251 (क) आरटी एक्ट) उक्त प्रकरण में अपनी भूमि ख0नं0 249 व 248 में आने जाने के लिए रास्ते का आवागमन चाहता हैं। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 25[illegible] किस्म गै0मु0रास्ता जिस पर मौके पर ग्रेवल रास्ता है, से लेकर खसरा नम्बर 253 की उत्तरी सीमा से लगता हुआ निकटतम रास्ता हैं। जिससे प्रार्थी का प्रा0 पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाने योग्य नही पाया जाने पर न्यायहित में खारिज किया जाता हैं। चूंकि मुताबिक तहसीलदार नीमकाथाना रिपोर्ट प्रार्थीगण की

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Yadav
Date: 2025.08.11 17:51:30
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
	खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम मावण्डा खुर्द तहसील नीमकाथाना अवस्थित खसरा नम्बरान 249 व 248 में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 259 किस्म गै0मु0रास्ता जिस पर मौके पर ग्रेवल रास्ता है, से लेकर खसरा नम्बर 253 की उत्तरी सीमा से लगता हुआ निकटतम रास्ता हैं। खसरा नम्बर 253 की उत्तरी सीमा से होते हुए रास्ते के खसरा नम्बर 249 की पूर्वी सीमा तक 36 मीटर लम्बाई तथा 09 मीटर चौड़ाई का रास्ता प्रस्तावित हैं। जिसका कुल रकबा 0.0324 है0 अर्थात 324 वर्गमीटर हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता हैं कि प्रार्थीगण की तन ग्राम मावण्डा खुर्द तहसील नीमकाथाना अवस्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बरान 249 व 248 में आने जाने के लिए भूमि ख0नं0 253 में से मुताबिक नक्शा ट्रेस व तहसीलदार रिपोर्ट रास्ता स्वीकृत किया जाता हैं। प्रार्थीगण से उक्त रास्ता भूमि की डीएलसी दर से दुगुनी राशि अप्रार्थीगण को दिलवायी जाकर उक्तानुसार रास्ता कायम किया जाना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 (29.07) को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.11 17:51:30 IST
Reason: SelfAttested